

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय.

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2005

सा. का. नि. 318.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, नागरिक पूर्ति विभाग में निदेशक (सहकारिता), उप निदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1984 को जहां तक उनका संबंध उप निदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक के पद से है, ऐसी बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग में उप निदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-II के भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **ज्याप्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
उप निदेशक (सहकारिता)	02* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	10,000-325- 15,200 रुपए	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7 नहीं		8 लागू नहीं होता		9 लागू नहीं होता	10 लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.

प्रोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति की जाएगी

11

- (i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); और
- (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

12

प्रोन्नति :— 8000-13500 रुपए के वेतनमान में ऐसा सहायक निदेशक (सहकारिता) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, अर्द्धशासी, कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-275-13500 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; या

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं :—

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर डिग्री या समतुल्य;

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सहकारिता में डिप्लोमा या समतुल्य।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अपर/संयुक्त सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष
2. निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य
3. निदेशक (सहकारिता) या समतुल्य —सदस्य

14

किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन/शिथिलीकरण करते समय संघ.लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

70

2012
221
171

1	2	3	4	5	6
2. सहायक निदेशक (सहकारिता)	03* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	8,000-275-13,500 रुपए	चयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	1. प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।		
11	12				

- (1) 66.67% प्रोन्नति द्वारा (जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); और
- (2) 33.33% प्रांतनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति :—ऐसा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-I, जिसने 6500-10,500 रुपए के वेतनमान में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-I में और जिसने 6500-10,500 रुपए के वेतनमान में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी I और 5500-9000 रुपए के वेतनमान में ज्येष्ठ तकनीकी श्रेणी-II में नियमित आठ वर्ष सम्मिलित सेवा की हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्द्धशासी, कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी :-

- (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-200-10,500 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-175-9000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :-

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर डिग्री या समतुल्य; वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सहकारिता में डिप्लोमा या समतुल्य।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

11

12

टिप्पण 2 : [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक से अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य से इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतः से अधिक नहीं होगी।]

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को से अधिक नहीं होगी।

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य—संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. अपर/संयुक्त सचिव (प्रशासन) | —सदस्य |
| 3. निदेशक (सहकारिता) या समतुल्य | —सदस्य |

किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध वना संशोधन/शिथिलीकरण करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
3. ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-II	02*(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5500-175-9000 रुपए	लागू नहीं होता।	45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7

8

9

10

लागू नहीं होता

आवश्यक :

लागू नहीं होता

दो वर्ष

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री या समतुल्य।
- (2) किसी सरकारी या सहकारिता संगठन में सहकारिता कार्य का 2 वर्ष का अनुभव।

72
244
223
173

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड /संस्थान से सहकारिता में डिप्लोमा या समतुल्य।

टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :—

(क) (i) जो मूल कॉडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर/विभाग में 5000-8000 रुपए के या समतुल्य के वर्तमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; या

(iii) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।

11

12

सीधी भर्ती द्वारा।

लागू नहीं होता।

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

- | | |
|---|----------|
| 1. निदेशक/उप सचिव या समतुल्य (स्थापना) | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक (सहकारिता) या समतुल्य अधिकारी | —सदस्य |
| 3. अवर सचिव (स्थापना) | —सदस्य |

इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिलीकरण करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 31st August, 2005

G.S.R. 318.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Senior Technical Assistant Grade II in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Senior Technical Assistant Grade II Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other educational qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said Posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification
1	2	3
1. Deputy Director (Co-operation)	2* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
4	5	6
10000-325-15200	Selection	Not applicable

74

116
225
175

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

7

8

9

No

Not applicable

Not applicable

Period of probation, if any

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

10

11

12

Not applicable

(i) 50% by Promotion, failing which by deputation (including short term contract); and
(ii) 50% by Deputation (including short term contract)

Promotion :

Assistant Director (Co-operation) in the scale of pay of Rs. 8000—13500 with five years regular service in the grade.

Note : Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation Period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (including short term contract) :

Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Government Statutory or Autonomous organizations :—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or
- (ii) with five years service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in the pay scale of Rs. 8000-275-13500; or equivalent in the parent Cadre/Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :—

Essential :

- (i) Master 's Degree of a recognized University/Institute or equivalent;
- (ii) Five years experience in a supervisory capacity in the field of Co-operation/Civil Supplies/Consumer Organization/Public Distribution and/or allied filed in a Government or Co-operative organization.

Desirable : Diploma in Co-operation from a recognized Board/ Institute or equivalent.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, will not eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

12

Note 2 : Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications

If a Departmental Promotion Committee exists, What is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

I Group 'A' Departmental Promotion Committee :— (for considering promotion) :		Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) and for amendment/relaxation of any provision of these Rules.
1. Additional/Joint Secretary (Administration)	—Chairman	
2. Director/Deputy Secretary (Administration)	—Member	
3. Director (Co-operation)	—Member	

1	2	3
2. Assistant Director (Cooperation)	3* (2005). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
4	5.	6.
Rs. 8000-275-13500	Selection	Not Applicable
7.	8	9
No	Not applicable	Two years for promotees

11

12

(i) 66.67% by Promotion, failing which by deputation (including short term contract);

(ii) 33.33% by Deputation (including short term contract).

Promotion :

Senior Technical Assistant Grade-I in the pay scale of Rs. 6500—10500 with three years regular service in the grade or Senior Technical Assistant Grade I with combined eight years of regular service in the grades of Senior Technical Assistant Grade I in the pay scale of Rs. 6500—10500 and Senior Technical Assistant Grade-II in the pay scale of Rs. 5500—9000.

Note : Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotions to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

76

248
227

177

Deputation (including short term contract) :
Officers of the Central Government/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Government Statutory or Autonomous Organizations :—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/ Department; or
- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500; or equivalent in the parent Cadre/ Department; or
- (iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 5500-175-9000; or equivalent in the parent Cadre/ Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :—

Essential :

- (i) Master's Degree of a recognized University/Institute or equivalent;
- (ii) Three years experience in a supervisory capacity in the field of Co-operation/Civil Supplies/Consumer Organization/ Public Distribution and/or allied field in a Government or Co-operative Organization.

Desirable : Diploma in Co-operation from a recognized University/Institute or equivalent.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—

- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman
- 2. Additional/Joint Secretary (Administration) —Member
- 3. Director (Co-operation) —Member

Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending/relaxation any provision of these rules.

77



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, मई 15—मई 21, 2011, शनिवार/वैशाख 25—वैशाख 31, 1933
No. 21] NEW DELHI, MAY 15—MAY 21, 2011, SATURDAY/VAISAKHA 25—VAISAKHA 31, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 151.—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे।
(2) ये नियम जनवरी, 2011 की प्रथम तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 में, नियम 9, उप-नियम (2) में, दिनांक "31 दिसम्बर, 2010" के स्थान पर दिनांक "31 दिसम्बर, 2013" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

78

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 2011

सा.का.नि. 157.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-II भर्ती नियम, 2005 जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 17 सितंबर, 2005 में सा.का.नि. संख्यांक 318 तारीख 31 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) (संशोधन) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता मामले विभाग [उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) क्रमसंख्यांक 1 के सामने, उपनिदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 4 में,

(i) शीर्षक के स्थान पर "वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शीर्षक रखा जाएगा।

(ii) प्रविष्टि के स्थान पर "15600-39100 रु. (वे.बै.-3) धन ग्रेड वेतन 6600" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(2) क्रमसंख्यांक 2 के सामने, सहायक निदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 4 में,

(i) शीर्षक के स्थान पर "वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शीर्षक रखा जाएगा।

(ii) प्रविष्टि के स्थान पर "15600-39100 रु. (वे.बै.-3) धन ग्रेड वेतन 5400 रु." प्रविष्टि रखी जाएगी।

(3) क्रमसंख्यांक 1 के सामने, उपनिदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 12 में,

(i) शब्द अक्षर और अंक "8000-13500 रुपये के वेतनमान में" जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर वेतनबैंड-3, 15600-39100 रु. (वे.बै.-3) धन ग्रेड वेतन 5400 रु." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(4) क्रमसंख्यांक 2 के सामने, सहायक निदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 12 में,

(ii) "6500-10500 रु. और 5500-9000 रु. के वेतन में" शब्द अंक और अक्षर जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर "वेतनबैंड 9300-34800

(वे.बै.-2) धन ग्रेड वेतन 4600 रु." और वेतन बैंड 9300-34800 रु. (वे.बै.-2) धन ग्रेड वेतन 4200 रु." रु. शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-12011/4/2001-स्था.]

ओम प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3; उपखंड (i) तारीख 17 सितंबर, 2005 में सा.का.नि. संख्यांक 318 तारीख 31 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 16th May, 2011

G.S.R. 157.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Senior Technical Assistant Grade-II Recruitment Rules, 2005 published in the Gazette of India dated the 17th September, 2005, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. number 318 dated the 31st August, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs [Deputy Director (Co-operation) and Assistant Director (Co-operation)] Amendment Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Consumer Affairs [Deputy Director (Co-operation) and Assistant Director (Co-operation)] Recruitment Rules, 2005, the following shall be substituted, namely :—

(1) Against serial number 1, relating to the post of Deputy Director (Co-operation), in column 4,

(i) for the heading, the heading "Pay Band and Grade Pay/Pay Scale" shall be substituted;

(ii) for the entry, the entry "Rs.15600-39100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs.6600" shall be substituted.

(2) Against serial number 2, relating to the post of Assistant Director (Co-operation), in column 4,

(i) for the heading, the heading "Pay Band and Grade Pay/Pay Scale" shall be substituted;

(ii) for the entry, the entry "Rs.15600-39100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs.5400" shall be substituted.

1640 GI/11-9

(3) Against serial number 1, relating to the post of Deputy Director (Co-operation), in column 12,

(i) for the words letters and figures "in the Pay Scale of Rs. 8000—13500", wherever they occur, the words and figures "Pay Band of Rs. 15600—39100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 5400", shall be substituted.

(4) Against serial number 2, relating to the post of Assistant Director (Co-operation), in column 12,

(ii) for the words letters and figures "in the Pay Scale of Rs. 6500—10500 and Rs. 5500—9000", wherever they occur, the words and figures "Pay Band of Rs. 9300—34800 (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4600" and "Pay Band of Rs. 9300—34800 (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4200", shall be substituted.

[F. No. A-12011/4/2001-Estt.]

OM PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India dated 17th September, 2005, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. number 318, dated the 31st August, 2005.

नई दिल्ली, 16 मई, 2011

सा.का.नि. 158.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, विभाग [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची में,—

(i) क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

4. "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : वेतनबैंड-3, 15600—39100 धन ग्रेड वेतन 7600 रु."

(ii) क्रम संख्यांक 12 के सामने, प्रोन्नति शीर्षक के अधीन और प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन 12 (क) (ii) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

12. **प्रोन्नति :**

"15600—39100 रूप के वेतन बैंड-3 और 6600 रु. के ग्रेड वेतन में ऐसे उपनिदेशक (सहकारिता) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।"

प्रतिनियुक्ति (अल्कालिक संविदा सहित) :

(क) (ii) जिन्होंने मूल काडर विभाग में 15600—39100 रूप के वेतन बैंड 3 और 6600 रुपये ग्रेड वेतन या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

[फा. सं. ए-12011/4/2001-स्था.]

ओम प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण—मूल नियम, 20 सितंबर, 2003 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 337 तारीख, 12 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए।

New Delhi, the 16th May, 2011

G.S.R. 158.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Consumer Affairs [Director (Co-operation)] Recruitment Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs [(Director (Cooperation))] Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Consumer Affairs [Director (Co-operation)] Recruitment Rules, 2003,—

(i) For serial number 4 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

4. "Pay Band and Grade Pay or Pay Scale : Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 7600".

(ii) Against serial number 12 under heading of promotion and 12 (a) (ii) under heading of deputation, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

12. **Promotion :**

"Deputy Director (Co-operation) in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 with five years regular service in the grade".

Deputation (including short-term contract):

(a) (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre/Department; and

[F. No. A-12011/4/2001-Estt.]

OM PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India dated the 20th September, 2003 vide number G.S.R. 337, dated the 12th September, 2003.